धार्मिक स्थानों में भिक्षावृत्ति

डॉ0 राजेश कुमार पाल
अमित कुमार सिंह
असि0प्रोफेसर समाजशास्त्र
गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्वी चित्रकूट (उ0प्र0)

भिक्षावृत्ति की समस्या किसी भी समाज में वैयक्तिक तथा सामाजिक विघटन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भिक्षावृत्ति का तात्पर्य ऐसी सभी क्रियाओं, चेष्टाओं तथा प्रदर्शनों से है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी प्रकार की उपयोगी सेवा के बिना ही अपने प्रति दूसरों के मन में दया अथवा सहानुभूति उत्पन्न कर दान के रूप में अपने लिए कुछ धन अथवा वस्तुएं प्राप्त करता है तथा इसी के द्वारा अपनी आजीविका को चलाता है। इस दृष्टिकोण से सड़कों पर तथा दर–दर घूमकर भीख मांगने वाले लूले, लंगड़े, अंधे, कोढ़ी और रोगी व्यक्ति ही भिखारी नहीं होते बल्कि पवित्र घाटों, धार्मिक केन्द्रों तथा मंदिरों–मस्जिदों से दान के नाम पर पैसे और वस्तुएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी भिखारी हैं। डॉ0 चौबे का कथन है कि ''अपनी रोटी स्वयं न कमाकर दूसरे व्यक्तियों के सामने अपनी आजीविका के लिए गिड़गिड़ाना, स्वयं परिश्रम न करने अपनी स्वार्थ–पूर्ति के लिए दूसरे के समक्ष हाथ फैलाना अथवा भिन्न–भिन्न उपायो से अपने प्रति दूसरों के मन में दया और सहानुभति जाग्रत करके उनसे कुछ प्राप्त करना ही भिक्षावृत्ति है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि भिक्षावृत्ति में तीन विशेषताओं की प्रधानता होती है–

1. भिक्षुक द्वारा स्वयं किसी उत्पादक कार्य को न करना।
2. अपने हाव–भाव अथवा व्यवहार द्वारा दूसरों के मन में दया और सहानुभूति उत्पन्न करना।
3. बिना मेहनत के दान के रूप में व्यक्तियों से धन अथवा वस्तु प्राप्त करना।

साधारणतया भिक्षुक अथवा 'भिखारी' शब्द से हमारे सामने तत्काल एक ऐसे बच्चे या असहाय व्यक्ति का चित्र उभरकर आ जाता है जो विकलांग या रोगी होने के कारण दूसरों के सामने हाथ फैलाकर सड़कों पर भीख मांग रहा होता है। भिक्षावृत्ति की समस्या को हम वास्तविक अनुमान तभी लगा सकते हैं जब भिखारियों के विभिन्न रूपों से हम परिचित हो जायें। भारतीय परिस्थितियों में डॉ0 के0एच0कामा ने सभी भिक्षुकों को 15 भागों में विभाजित किया है– बाल भिक्षुक, शारीरिक रूप से दोषमुक्त भिक्षुक, मानसिक रूप से हीन तथा मानसिक दोषों से युक्त, रोगग्रस्त भिक्षुक, स्वस्थ भिक्षुक, धार्मिक भिक्षुक, बनावटी धार्मिक साधु, जनजातीय भिक्षुक, नौकरी या रोजगार में लगे भिक्षुक, व्यापारी के रूप में भिक्षुक, अस्थायी रूप में बेकार लेकिन काम करने योग्य भिक्षुक, लगभग स्थायी रूप में बेकार लेकिन काम करने योग्य भिक्षुक, स्थायी रूप से विकलांग लेकिन काम करने के योग्य भिक्षुक, स्थायी रूप में बेकार और काम न कर सकने योग्य भिक्षुक, स्थायी रूप में बेकार लेकिन काम करने के अनिच्छुक भिक्षुक। इस वर्गीकरण में डॉ0 कामा ने सभी प्रकार की मनोवृत्तियों वाले तथा भिन्न–भिन्न विधियों से भिक्षा मांगने वाले भिखारियों को सम्मिलित किया है।

भारत में अनेक धार्मिक नगरों जैसे मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, गया, द्वारिका तथा दक्षिण के बहुत से दूसरे स्थानों में ऐसे भिक्षुकों की संख्या बहुत अधिक है जो धर्म के आवरण में भिक्षा मांगकर आजीविका उपार्जित करते हैं। गंगा–यमुना के घाटों पर ये व्यक्ति यात्री की इच्छा न होने पर भी अकस्मात पीछे से आकर उसके माथे पर टीका लगा देते हैं। धार्मिक वेशभूषा में बहुत से चतुर भिखारी उपदेशक की

भूमिका निभाकर भिक्षावृत्ति करते हैं। इस वर्ग के भिखारियों की संख्या धार्मिक केन्द्रों में बहुत अधिक होती है। साधारणतया वे भिक्षुक मेलों, त्योहारों, गंगा के तटों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी बैठकर कथा या रामायण का पाठ आरम्भ कर देते हैं। बहुत से भिखारी बाध्यतामूलक तरीकों का प्रयोग करके भिक्षा लेने में प्रवींण होते हैं। धार्मिक स्थानों पर भिखारी बच्चे दर्शनार्थी के पीछे हाथ फैलाये तब तक चलते रहते हैं जब तक उन्हें कुछ मिल नहीं जाता।

प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग के भिक्षुकों को इंगित करने का प्रयास किया गया है। यह परिक्रमा मार्ग सात किलोमीटर की है। इस परिक्रमा मार्ग में जगह–जगह पर भिक्षुक देखे जा सकते हैं। कुछ स्थानों पर इनकी संख्या अधिक व कुछ स्थानों पर कम हैं। इन भिक्षुकों में वृद्ध भिखारी ज्यादा हैं। इनमें वृद्ध महिलाएं भी हैं। अनेक भिक्षुक शारीरिक रूप से अक्षम भी हैं। इनमें अंधे, लंगड़े, बीमार भी सम्मिलित हैं।

चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में 24 घंटे दर्शनार्थी परिक्रमा लगाते रहते हैं इसलिए बहुत सारे भिक्षुकों ने अपना स्थायी डेरा ही बना लिया है। बहुत सारे भिक्षुकों ने तो अपने स्थान ही चिन्हित कर लिए हैं। वे अपने भिक्षा के क्षेत्र में कपड़ा या चद्दर फैला देते हैं और अपने बर्तन इत्यादि रख देते हैं। ये पंक्तिबद्ध होकर बैठते हैं। कुछ भिक्षुकों ने अपने अस्थायी आवास भी बना लिए हैं। बहुत सारे भिक्षुक परिक्रमा मार्ग में खुले स्थानों में ही अपना डेरा जमा लेते हैं। ये वहीं पड़े रहते हैं। कुछ भिक्षुक शाम होते–होते अपने स्थायी जगह चले जाते हैं। सुबह होने पर पुनः अपने स्थानों में आ जाते हैं।

यहां के भिक्षुक परिक्रमारत दर्शनार्थियों की ओर देखते रहते हैं और उनके सामने अपने पात्र दिखाकर भिक्षा मांगते रहते हैं। बहुत से दर्शनार्थी अपने साथ अन्न यथा चावल/चना इत्यादि लाते हैं और वे इन भिक्षुकों को देते जाते हैं। पूरे चित्रकूट परिक्षेत्र में बंदर भी बहुतायत मात्रा में हैं। दर्शनार्थी इन बन्दरों को भी अन्न डालते जाते हैं। बहुत से दर्शनार्थी पैसे भी देते जाते हैं। जगह–जगह ऐसे दुकानदार भी हैं जो दर्शनार्थियों को छुट्टे पैसे व अन्न देने की व्यवस्था करते हैं। परिक्रमा मार्ग में कुछ भिक्षुक टीका इत्यादि भी लगाते हैं और मंत्र इत्यादि पढ़कर भिक्षा मांगते हैं। अनेक मंदिरों से इन भिक्षुकों को भोजन भी कराया जाता है।

यथार्थ प्रश्न यह है कि ये भिक्षुक कौन हैं? कहां से आते हैं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने के प्रयास किये जाते हैं तो उसके बहुत से कारण उभरकर सामने आते हैं। शारीरिक अपंगता जैसे अन्धापन, बहरा होना, हाथों या पैरों का विकृत होना अथवा व्यक्ति का गूंगा होना भी बहुत से व्यक्तियों को रोजगार के सभी अवसरों से वंचित कर देती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के सामने भिक्षावृत्ति के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह जाता। मानसिक दोष व्यक्ति को आजीविका अर्जित करने के अयोग्य ही नहीं बना देती बल्कि उसमें मान–सम्मान के बोध को समाप्त करके भी इसे भिक्षावृत्ति की ओर प्रेरित करती है। मानसिक दोष वाला व्यक्ति यदि किसी निर्धन परिवार का सदस्य है तो उसके भिखारी बन जाने की

सम्भावना और अधिक बढ़ जाती है। जिन परिवारों में ऐसे व्यक्ति होते हैं और यदि वे पालन–पोषण करने में असक्षम हैं तो वे इन्हें ऐसे स्थानों में छोड़ आते हैं। बहुत से इस तरह के असक्षम व्यक्ति अपने घरों में यातनाओं से पीड़ित होते हैं। अतः वे खुद ही ऐसे स्थानों पर आ जाते हैं और भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवनयापन करने लगते हैं।

वृद्धावस्था स्वयं में भिक्षावृत्ति का कारण नहीं है लेकिन यदि वृद्धावस्था में एक ओर व्यक्ति दुर्बलता या बीमारियों के कारण जीविका उपार्जित करने की स्थिति में न हो और दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति उसे सहायता देने वाला न हो तो इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति के सामने भीख मांगने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। संयुक्त परिवारों के टूटने से और रोजी रोटी के लिए एकल परिवारों के सदस्यों का पलायन वृद्धों के सामने अनेक समस्याएं पैदा की हैं। एकाकीपन, अभाव, मानसिक कष्ट, अपनों से दुःखी, अपनों से उपेक्षित, प्रताड़ित ये वृद्ध ऐसे धार्मिक स्थानों में आकर भिक्षावृत्ति को अपनी आजीविका का सहारा बना लेते हैं। अनेक लोग इन वृद्धों को ऐसे स्थानों पर स्वतः भी छोड़ आते हैं।

इसके अतिरिक्त इन भिक्षुकों से यह भी ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में कुछ परम्परागत व्यवसायों से इनका भरण पोषण या जीवनयापन न होने की वजह से भी ये भिक्षावृत्ति की ओर उन्मुख हुए हैं। अनेक पेशेवर जातियों का व्यवसाय ही भिक्षावृत्ति है। वे काम करने के लायक होते हुए भी अपने परम्परागत व्यवसाय मानने के कारण भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं। इनका पूरा परिवार व बच्चे भिक्षावृत्ति ही करते हैं। कुछ घुमन्तू जातियां जो किन्हीं न किन्ही व्यवसायों में रत थी आज बेरोजगार हो रही हैं उनमें से भी कुछ लोग भिक्षावृत्ति करने लगे हैं। निर्धनता भी भिक्षावृत्ति के लिए एक अहम कारण है। निर्धनता के कारण अनेक सदस्य भिक्षावृत्ति का रास्ता अपना लेते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध से यह ज्ञात होता है कि भिक्षावृत्ति के अनेक कारण हैं। धार्मिक स्थानों में व्यक्ति भावनात्मक रूप से आकर्षित होकर इन भिक्षुकों को कुछ न कुछ दान देते रहते हैं। इसलिए इन भिक्षुकों को भी कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है। परन्तु वर्तमान में इस तरह की समस्या चिंतन करने को विवश भी करती है। विकास के इस दौर में इस तरह की समस्याओं की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। इन भिखारियों की वजह से धार्मिक स्थानों की सुंदरता व प्रकृति प्रभावित होती है। ये उन स्थानों पर गंदगी भी फैलाते हैं। मैले–कुचले वस्त्र, जमीन में भीख के लिए पड़े बर्तन और भिखारियों द्वारा तरह–तरह के निवेदन वर्तमान समय में विकास व विकासात्मक योजनाओं पर प्रश्नचिन्ह भी लगाते हैं। एक ओर विलासिता व भौतिकता के साधनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई तो दूसरी तरफ इन भिखारियों को भरपेट भोजन की लालसा है।

वर्तमान समय में ये आवश्यक हो गया है कि इनको एक जगह बसाया जाय। दान की एक व्यवस्थित प्रणाली के तहत इनको सुविधाएं दी जाएं। इनमें यदि कोई रोजगार के लायक हो तो उसे उसके साधन उपलब्ध कराये जाएं। वृद्धों के लिए जो योजनाएं संचालित हो उनमें वृद्धों का पंजीकरण कराया जाए। वृद्धाश्रम में विभिन्न कुटीर उद्योग संचालित किए जाए और निर्मित सामग्री को बेचने की भी व्यवस्था हो। पेशेवर जातियों को रोजगार की तरफ प्रेरित करने हेतु जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं। कुछ वैधानिक प्रतिबंध भी लगाये जाएं। धार्मिक स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों से कुछ अंश इनको देने की व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाए। होटलों/ढ़ाबों से बचे हुए भोजन को इन तक पहुंचाने का भी तंत्र विकसित करने की जरूरत है। दानदाताओं/धनाढ्य वर्ग से जीवनोपयोगी वस्तुओं का संकलन केन्द्र स्थापित करते हुए इन तक पहुचानें के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आने की जरूरत है। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप भिक्षावृत्ति में कमी परिलक्षित होगी।

संदर्भः

1. Cama K.H.; 'Types of Beggars' Our Beggars Problem, Edited by B.M. Kumarappa.
2. Chandra Sushil; Sociology of Devation in India, 1967.
3. Field Survey of Chitrakoot Region.